



Neutral Citation No.- 2026:AHC:124456

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 18983 वर्ष 2026

सचिन सैनी.

....आवेदक

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश

..... विपक्षी दल

आवेदक के अधिवक्ता : पंकज शर्मा, प्रशांत शर्मा

विपक्षी दल के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या 4

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज शर्मा, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री रोशन कुमार सिंह को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन, थाना अमरोहा नगर, जिला अमरोहा के केस क्राइम संख्या 84 वर्ष 2026, बी.एन.एस. की धारा 85, 109, 115(2) और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3/4 के अंतर्गत मुकदमे के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक एक निर्दोष व्यक्ति है और उसे वर्तमान मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक पीड़िता का पति है। आवेदक और अन्य परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने मृतका के साथ क्रूरता की और दहेज की मांग की, साथ ही यह भी कहा गया है कि उन्होंने मृतका को छत से नीचे फेंक दिया। उन्होंने आगे कहा कि मकान मालिक के बेटे के बयान को देखने मात्र से यह स्पष्ट है कि आवेदक पीड़िता के साथ किराए के मकान में रह रहा था और उनके बीच मामूली विवाद पर हाथापाई हुई, जिसमें उसे चोटें आईं। घायल की मेडिकल जांच रिपोर्ट और डॉक्टर के बयान के अनुसार, सभी चोटें प्रकृति में सामान्य हैं। आवेदक को बी.एन.एस. की धारा 109 के तहत गलत तरीके से फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि विवाद पति और पत्नी के बीच एक सामान्य मुद्दे पर उत्पन्न हुआ था, जिसे ससुर के कहने पर बढ़ा-चढ़ाकर पेश

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 25.03.2026 से जेल में है। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया लेकिन उक्त तथ्य का खंडन नहीं कर सके।

5. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए और जेलों में अधिक भीड़ तथा निचली अदालतों के समक्ष लंबित आपराधिक मामलों के भारी बोझ को देखते हुए, साथ ही **कपिल वाधवन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2025 एससीसी आनलाइन एससी 3038)** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधिदेश पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मानना है कि आवेदक जमानत पाने का हकदार है। तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

6. आवेदक **सचिन सैनी**, जो उपरोक्त अपराध में शामिल है, को जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के दो जमानती और एक व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करे, जिसमें निम्नलिखित शर्तें शामिल हैं:-

i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने प्रकट करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

ii. आवेदक मुकदमे/जांच में बिना किसी स्थगन की मांग किए ईमानदारी से सहयोग करेगा।

iii. जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी अपराध के कमीशन में लिप्त नहीं होगा।

iv. आवेदक उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित रहेगा।

7. उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. बंधपत्र स्वीकार करने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और जमानतियों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाना चाहिए।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई इस आदेश की प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा और संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस वचन के साथ सत्यापित किया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।
10. निर्देश दिया जाता है कि निचली अदालत आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम (बोम्स) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगी।
11. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के जमानत अनुदान के लिए नीति रणनीति मामले (31.01.2023 को तय सुओ मोटो रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4 वर्ष 2021, जिसे (2024) 10 एससीसी 685 में रिपोर्ट किया गया है) के आदेश के अनुपालन में संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-प्रिजन पोर्टल द्वारा आवेदक को इस आदेश की एक प्रति भेजे।

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

1 जून, 2026